

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा झुन्झुनूं

क्रमांक

दिनांक 08/05/2023

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी नियम 2010 के नियम II के उपनियम 4 के अधीन डूण्डलोद विद्यापीठ, डूण्डलोद को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं क्रमांक जिशिअ/प्रार/झु/मान्यता/2012/913 के तहत स्थायी मान्यता प्राप्त है।

जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा झुन्झुनूं द्वारा डूण्डलोद विद्यापीठ, डूण्डलोद में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विधालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का लगातार गत वर्षों एवं सत्र 2022-23 में भी विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा चुका है।

310
जिला शिक्षा अधिकारी (धौ.पु.)
माध्यमिक, झुन्झुनूं
मयून्नाखण्ड, माध्यमिक, झुन्झुनूं



Secretary
D. DUNDLOD VIDYAPEETH
DUNDLOD - 333702

प्रारूप-2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनू

दुरभाष एवम् फॉक्स नम्बर - 01592 - 235475/235474 E-mail Id.: deo@ejin@gmail.com

क्रमांक - जिन/प्रार/सु/मान्यता/2012/ 913

दिनांक - 30.10.11

प्रबन्धक

हुज्जत विद्यापीठ,
हुज्जत

विषय - निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उा नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदय

19.10.11

आपके दिनांक - 23 फरवरी 2012 के आदेवन और इस सबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मै, 1/4/10 31/3/13

(माध्यम) को दिनांक - 2012 से दिनांक - तक तीन बष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है -


- मान्यता की संपूर्ण विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई माध्यता विवक्षित नहीं है।
 - विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
 - विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पाड़ों के कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक समुह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
 - पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरतियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पुथक बैंक खाता रखेगा।
 - सोसायटी/विद्यालय किसी कौंपिटिशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या सरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान एवं जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती धाहा गया है।

- विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि -
 - यदि कोई भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालको शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निराक्षरता रास्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अधीत करेगे।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
 - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया बालकों में नियोजित नहीं करेगा।


- 8 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्य धर्मा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 9 विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
- 10 विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा निर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं-
विद्यालय परिसर का क्षेत्र
कुल निर्मित शत्र
कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल
कक्षा कमरों की संख्या
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष
बालक और बालिकाओंके लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
बाधा रहित पहुंच
अध्यापक पठन सामग्री/कीड़ा खेलकुद उकस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता
- 11 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालयों के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेंगी।
- 12 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 13 विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोकन्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 14 विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यष्टियों के समुह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 15 विद्यालय के लेखाओं के घाटंड अकाउन्टेन्ट द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा-विवरण को एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्डुनू को भेजी जानी चाहिए।
- 16 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक... 913 ... है। कृपया इसे नोट कर ले और इन कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
- 17 विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत कर्ता है जो समय समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्डुनू द्वारा अपेक्षित हों और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
- 18 सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हों, को सुनिश्चित किया जाये।
- 19 सलग्न उपाबंध-111 के अनुसार अन्य कोई शर्त।

20 R.T.E. 2009 के समस्त मापदण्डों की पूर्ति आवश्यक है,
वरना आपकी मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

भवदीय,


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, झुन्डुनू

DUNDLOD VIDYAPEETH



Chairman Executive

:: आदेश ::

7 राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम 1993 एवं तत्पश्चात् किये गये संशोधन के अन्तर्गत प्रवृत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये सत्र 2000 से निम्नांकित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर को अग्रेजी माध्यम की अस्थाई मान्यता आगामी तीन सत्र के लिए १ वर्ष 2000-01 से 2003 तक १ उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं प्रथमत्र के आधार पर परिशिष्ट-11 को पूर्ति पर दी जाती है।

मान्यता नियमों को पालना न करने अथवा किसी तक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय किसी विपरीत स्थिति पाये जाने पर संस्था को मान्यता निरस्त की जा सकती है। यदि संस्था हिन्दी माध्यम से मान्यता प्राप्त है तो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा. शिक्षा संस्था को हिन्दी माध्यम से मान्यता तत्काल निरस्त कर आदेश की प्रति निदेशालय को भिजवावे।

क्र.सं.	संस्था का नाम व पता	मान्यता का स्तर
1-	पब्लिक होली मिशन स्कूल, 2-ई-24, पवनपुरी, बीकानेर	उच्च प्राथमिक
2-	सेन्ट्रल अकेडमी, बी-50, करणीनगर, बीकानेर	उच्च प्राथमिक
3-	डिपेन्स पब्लिक स्कूल, ए-10, कैलाशपुरी, भुवरगढ़ के पास, बीकानेर	उच्च प्राथमिक
4-	ज्ञानायतन उ. प्रा. विधालय, झंझु हाउस, एम. एम. गर्ल्स- हास्टल के पास बीकानेर	उच्च प्राथमिक
5-	अईस इंगलिश स्कूल, पौराड़िया चौक, गंगाशहर, बीकानेर	उच्च प्राथमिक
6-	कीर्ति पब्लिक स्कूल, पुष्करणा स्टेडियम के पास, बीकानेर	उच्च प्राथमिक
7-	संजित शिक्षण संस्थान, गांधीनगर, बीकानेर	उच्च प्राथमिक
8-	एन.एस. जॉन्वेन्ट स्कूल, शाहील कालोनी, बीकानेर	उच्च प्राथमिक
9-	सेन्ट्रल गिरलस अकेडमी, बी-1, मैन बाजार, हनुमान	प्राथमिक
10-	श्री स्वयं पब्लिक स्कूल, अगड़, जिला हनुमान	उच्च प्राथमिक
11-	डूण्डलीद विद्यापीठ, डूण्डलीद, जिला हनुमान	उच्च प्राथमिक
12-	श्रीमती कमलादेवी बागडो दिया विद्या मन्दिरो, सूरतगढ़ १ जिला हनुमान १	प्राथमिक
13-	एनी वेलेन्ट जॉन्वेन्ट स्कूल, वाइसपथमंगला के पास वाई- 19, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर	उच्च प्राथमिक
14-	वन्देमातम पब्लिक स्कूल 166-पी कलाक की गंगानगर	प्राथमिक

क्र. सं.	संस्था का नाम	मान्यता का स्तर
89-	हाल मार्ड इन्टरनेशनल स्कूल, गडबलगर रकॉर्डिंग-बी, जयपुर	उच्च प्राथमिक
90-	टेण्डर हब स्कूल, 3/56 तियाधरनगर, जयपुर	प्राथमिक
91-	तन फ्लावर पब्लिक स्कूल, 505, गणगोरी बाजार, जयपुर	उच्च प्राथमिक
92-	पेपेरा पब्लिक स्कूल, बी-98, जमुनापुरी, सुरनीपुरा स्कीम, रोड़ नं. 1 विषयकर्मा, जयपुर	उच्च प्राथमिक
93-	सेन्ट आगस्टीन कान्वेन्ट स्कूल, हरिसार्ग, मालविधा नगर, जयपुर ।	उच्च प्राथमिक
94-	सेपलिंग रीडरगारटन पब्लिक स्कूल, 138, नन्दपुरी कालोनी हमातड़क, जयपुर ।	उच्च प्राथमिक
95-	तक्षशिला शिक्षा निरुत्तन, 16-17, प्रवासीनगर, जयपुर	उच्च प्राथमिक
96-	इमानुएल मिशन स्कूल, शाहपुरा जिला जयपुर	उच्च प्राथमिक

क्र. सं. 2, 9, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 28, 43, 45, 46, 48, 50, 53, 61, 75,

80 व 92 संस्थाओं को संयुक्त आरक्षित जोष प्राथमिक स्तर हेतु रुपये 2000/- एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु रुपये 5000/- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा एवं संस्था के संयुक्त नाम से बनाकर प्रति निदेशालय को 15 दिन में प्रेषित करने की शर्त पर दी जाती है। सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा-प्रथम/द्वितीय सम्बन्धित संस्थाओं से अपरोक्त आक्षेप पूर्ण करवाने की कार्यवाही करावें।

ह/—

§ आशुतोष गुप्त §

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,

जोधपुर । 31.3.2000

क्रमांक-शिक्षा/प्रार/प्राथ/तो/3700/2000/18


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1 § उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,

2 § जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, प्रथम/द्वितीय

3-§ सम्बन्धित संस्था को रजिस्टर्ड

4 § गार्ड फ़ाइल में ।


31/3/2000
अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
जोधपुर ।

आरटाक §